"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]　　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014 — फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-43/2014/वाक/पांच (40) . — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक कॉलम (4) में दी गई शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक की अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बंधन एवं शर्तें (4)
1.	आयरन ओर पैलेट एवं बिलेट	संपूर्ण कर	1. जब ऐसे माल का प्रवेश छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई के द्वारा कराया जाए. **स्पष्टीकरण** :-(क) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लघु अथवा **मध्यम औद्योगिक इकाई से आशय** ऐसी विद्यमान इकाई का दिनांक **31-03-2014 तक तथा 01-04-2014 या इसके पश्चात् उत्पादन में आने वाली इकाई का उत्पादन दिनांक तक, प्लाण्ट एवं मशीनरी में कुल विनियोजन अवक्षयण (depreciation) के पूर्व रु. 10 करोड़ से अधिक न हो,**

(1)	(2)	(3)	(4)
			(ख) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोजन की गणना भारत शासन के लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1722 (अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के अनुसार की जायेगी. 2. ऐसे माल का प्रवेश आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु कराया जाय तथा निर्मित उत्पाद का विक्रय प्रांत के अंदर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-43/2014/वाक/पांच (40). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2014/वाक/पांच (40), दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10-43/2014/CT/V(40). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh a Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts of goods specified in column (2) of he Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent n column (3), under the restriction and conditions as specified in column (4) for the period from 01-04-2014 to 15 :-

SCHEDULE

No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restriction and conditions (4)
1.	Iron ore pellet and billet	Whole of tax	1. When such goods are entered into a local area by a small or medium scale industrial unit registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005. **Explanation** - (a) for the purpose of this notification small or medium scale industrial unit means such existing unit in which upto 31-03-2014, and industrial unit commencing production on or after 01-04-2014 upto date of production, total investment in plant & machinery before depreciation does not exceed Rs.10 crore,

(1)	(2)	(3)	(4)
			(b) for the purpose of this notification investment in plant & machinery shall be calculated as per notification No. S. O. 1722 (E) dated 5 October, 2006 of Ministry of Small Scale Industries, Govt. of India.
			2. Such goods are entered for use as raw material in the manufacture of Iron & steel and manufactured product is sold in the State or in the course of interstate trade and commerce or in the course of export out of the territory of India.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-43/2014/वाक/पांच (41). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक ए-3-14-99-विक/पांच (18), दिनांक 31-03-1999 की अनुसूची को दिनांक 01-04-2014 के प्रभाव से निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है :-

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	माल का विवरण (2)	प्रवेशकर की दर (3)
1.	टेलीकम्युनिकेशन्स केबल्स एवं उसके उपसाधन	1 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10-43/2014/वाक/पांच (41). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2014/वाक/पांच (41), दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10-43/2014/CT/V(41). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby substitutes the Schedule of notification No. A-3-14-99-ST/V (18) dated 31-03-1999 with effect from 01-04-2014, as below :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Descriptions of goods (2)	Rate of Entry Tax (3)
1.	Telecommunication cables and accessories thereof	1 Percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.